न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई॰ए॰एस

प्रकरण संख्या **07/2017 प्रा.पत्र रसद**

राज्य सरकार जरिये प्रद्युम्न सिंह प्रवर्तन अधिकारी, जिला उदयपुर

......................प्रार्थी

बनाम

1. श्री संजय सिंह पुत्र श्री लक्ष्मन सिंह हॉकर, मैसर्स बापना गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स, पाठो की मगरी, बीपीएसीएल, उदयपुर
2. श्री दिनेश सिंह पुत्र श्री मदनसिंह हॉकर, मैसर्स बापना गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स, पाठो की मगरी, बीपीएसीएल, उदयपुर
3. श्री सुशील बापना, प्रोपराईटर, मैसर्स बापना गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स, पाठो की मगरी, बीपीएसीएल, उदयपुर

.............अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सीज्ड एक घरेलु एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर 14.2 किलो मय 9.2 किलो गैस राजसात कराने के कम में

उपस्थितः– श्री मनीष भटनागर, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः– 11.01.18

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र 6ए के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 16.05.17 को जिला रसद अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देश पर मैसर्स बापना गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स, पाठो की मगरी, बीपीएसीएल, उदयपुर के हॉकर दिनेश सिंह एवं संजयसिंह के पास उपलब्ध गैस सिलेण्डरो की आकस्मिक जॉच की गई। जॉच पर मौके पर 30 घरेलु गैस सिलेण्डर पाये गये। जिनमें से 10 का वजन हॉकर द्वारा स्वयं के सॉल्टर स्केल से करने पर एक घरेलु गैस सिलेण्डर का वजन निर्धारित मात्रा 14.2 किलो से कम पाया गया। सिलेण्डर में 5 किलो एल पी जी कम पायी गई। जिसका मौके पर पुछने पर कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। मौके पर कार्यवाही की जाकर उक्त घरेलु गैस सिलेण्डर वजह सबुत सीज्ड किया जाकर मौके पर ही श्री भॅवरसिंह पुत्र श्री प्रभुसिंह जादौन, निवासी सुखाड़िया नगर सेक्टर 3 उदयपुर हाल हॉकर शिवम गैस ऐजेन्सी फतहपुरा उदयपुर को सिपुर्द किया गया।

इस प्रकार मैसर्स बापना गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स, पाठो की मगरी, बीपीएसीएल, उदयपुर के दोनो हॉकरो द्वारा अनियमितता कर राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापत्र एवं नियंत्रण) आदेश 1990 के क्लॉज 10 के अधिमान्य अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 11(v) के तहत अधिमान्य लिक्विफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के क्लॉज 3 (4) के तहत मान्य शेड्यूल। के निर्देश 3 का उल्लंघन किये जाने के कारण सीज उक्त 1 सिलेण्डर को मय 9.2 किलो के राजसात करने का श्रम करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण के तामिलन नोटिस संलग्न पत्रावली हैं। बावजुद नोटिस तामिल के तीनो विपक्षीगण अनुपस्थित रहे। अतः विपक्षीगणो के विरूद्ध दिनांक 01.01.18 को एक तरफा कार्यवाही की गई। तामिलन नोटिस संलग्न पत्रावली हैं।

प्रकरण में विपक्षीगण बावजुद नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहे। जिस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वतः ही साबित हो जाता है कि विपक्षीगण द्वारा राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापत्र एवं नियंत्रण) आदेश 1990 के क्लॉज 10 के अधिमान्य अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 11(v) के तहत अधिमान्य लिक्विफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के क्लॉज 3 (4) के तहत मान्य शेड्यूल। के निर्देश 3 का उल्लंघन किया गया हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा 1 सिलेण्डर मय 9.2 किलो गैस को राज्यसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, प्रथम, उदयपुर को पालनार्थ प्रेषित की जाकर लिखा जावे की जब्त सिलेण्डर मय गैस का नियमानुसार निस्तारण किया जाकर प्राप्त राशि राजकोष में जमा करा चालान की प्रति न्यायालय हाजा में प्रेषित करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर